

the disqualification period is, will be in addition to 'the sentence which you will serve out. It will never expire during the period when you are in jail.

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, I want to ask one question: Is the Minister aware that there is a law in the State of Jammu and Kashmir that a person who is found *prima facie* guilty in an enquiry, ordered by the Government is not entitled to contest the election? I know that Shri Bakhshi Ghulam Mohammad was not allowed to contest the election. I would like the hon. Minister to kindly check up the reason.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I am sorry, I do not claim proficiency in Jammu & Kashmir law. But since the hon. Member has drawn my attention to it, I will certainly look into it.

SHRI K.M. SAIFULLAH: Sir, the hon. Minister has rightly, legally stated that just because there is a *prima facie* case and charges are framed against a person or a private complaint is filed against a person, we cannot allow him not to exercise vote or not to contest the elections. But I want to make a suggestion in this regard to the hon. Minister. I want to suggest that if a person is convicted in the lower court, even if the sentence is suspended till it is acquitted back by the Appellate court, he should be barred from exercising the vote. Can we make such a law to speed up the Dials?

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, my own view is that, that is the correct interpretation of the existing law. But some years ago, the Supreme Court arrived at a contrary conclusion and that has not yet been upset by anybody. Therefore, I agree that an amendment in the law is necessary in this respect.

Advanced cargo transfer system at Vishakhapatnam Port

*702. DR. Y LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Vishakhapatnam Port Trust proposed to invest substantially in advanced cargo transfer system;

(b) is so, the details thereof; and

(c) the action proposed to revamp the ore handling plant of the VPT which is causing problems?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJNATH SINGH): (a) and (b) Yes, Sir, The Vishakhapatnam Port Trust has undertaken a programme for modernisation of equipments in-order to optimise its cargo

[16th May, 2000]

RAJYA SABHA

handling capacity. The Port has planned to procure higher capacity Cranes, Grab Unloaders, Tugs, Bucket Wheel Reclaimer etc.

(c) Vishakhapatnam Port Trust has taken steps to revamp Tippling System and Shipping System in order to improve performance of Ore Handling Plant. Improvements already effected have resulted in 62% increase in the berthday output of Ore Handling Plant between 1997- 98 and 1999*2000.

DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Sir, the Vishakhapatnam Port is playing a very important role in the east coast of our country. When compared with Chennai, Mumbai and Calcutta Port, the Vishakhapatnam Port is handling more' cargo then these three Ports. Now, there is a rapid increase in container traffic at the Vishakhapatnam Port. I would like to know whether the Government has any plan to extend the container terminal to allow the berthing of main line container vessels to handle container cargo easily. If so, I would like to know the details thereof.

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस समय विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के पास कुल 18 बर्थ हैं। इनमें से फयूल के लिए तीन बर्थ, आइरन —ओर के लिए एक बर्थ, फर्टिलाइजर के लिए एक बर्थ और अदर जनरल कारगो के लिए 13 बर्थ हैं। आगे भी हमारी योजना हैं कि वहां पर 4 मल्टीपरपज बर्थ और एक कंटेनर टर्मिनल जल्दी से जल्दी बन जाए और वह इन-प्रोसेस हैं और मेरा विश्वास हैं कि जल्दी ही उनका निर्माण हो जाएगा।

DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Sir, I am satisfied with the reply of the' hon. Minister. Thank you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, Vishakhapatnam, Gangavaram, and Bhimunipatnam are all nearby and so also is Kakinada. Is there any proposal before the Government to have a port corridor among Vishakhapatnam, Kakinada, muthialampadu, Gangavaram and Bhimunipatnam that are nearby so that the congestion at Vishakhapatnam can be reduced and the other ports can also be properly used?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, गंगावरम पोर्ट एक माइनर पोर्ट है। जितने मेजर पोर्ट हैं वह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं लेकिन जितने माइन पोर्ट हैं वह स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट यह जरूर चाहता था कि हम गंगावरम पोर्ट को भी डवलप करें। उसके लिए उसने एक योजना भी बनाई थी और आन्ध्र प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी की थी लेकिन आन्ध्र प्रदेश सरकार उससे सहमत नहीं हुई। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने

फैसला किया है कि हम गंगावरम पोर्ट को प्राइवेट रूट के माध्यम से डवलप करेंगे अर्थात् प्राइवेट सैक्टर को गवर्नमेंट ऑफ आन्ध्र प्रदेश दे कर उसको डवलप करने की कोशिश करेगी।

SHRI RAMAMUNI REDDY SIRIGIREDDY: Mr. Chairman, Sir, is the Minister aware of the fact that, as the ore-handling plant is more than 25 years old, recently the V.R.T. has paid Rs. 6 crores per annum as demurrage charges? Are you taking any measures to modernize it and to introduce a sophisticated cargo transport system for containers in the V.R.T. and if so, when are you going to complete it?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, जहां तक आइरन-ओर की हैंडलिंग का प्रश्न है, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने आइरन —ओर लोडिंग सिस्टम जो लगभग 25 साल पुराना है, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सच है कि वह आऊट-लिव हो चुका है। इसलिए पुराने सिस्टम के लोडिंग रेट को बढ़ाने और आइरन —ओर शिपिंग में डेमरेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे उपाय हम लोगों ने किये हैं। वह उपाय टिप्पलिंग सिस्टम का सुधार करना है। यदि आपकी अनुमति हो तो माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं, मैं उन्हें दे सकता हूँ कि टिप्पलिंग सिस्टम और शिपिंग सिस्टम में हम कौन-कौन से सुधार करने जा रहे हैं लेकिन इसमें ज्यादा समय लगेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सही जानकारी दे सकता हूँ।

SHRI LALITBHAI MEHTA: What will be the additional handling capacity of the advanced cargo transfer system, and what will be the capital investment required?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, अब तक विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट की कारगो हैंडलिंग कैपसिटी 39.51 मिलियन टन की है और इस कैपेसिटी को अप-टू दी एंड आफ नाइंथ प्लान 35 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। जहां तक इनवेस्टमेंट का सवाल है 1999-2000 जो एकचुअल एक्सपेंडीचर इस पोर्ट की कैपेसिटी को डवलप करने के लिए हम करने वाले हैं या हमने किया है वह 91.3 करोड़ है और नाइंथ प्लान का जो आऊट ले रहा है, वह 900 करोड़ रहा है। 2000-2001 के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 138.40 करोड़ का प्लान आऊट-ले विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट की कैपेसिटी डवलप करने का है।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, so far as the question of handling cargo is concerned, there are about 11 major ports in India but the handling is done through computer in only one, that is, the JNPT, Bombay.

That is, JNPT, Mumbai. The loading, unloading and transport of the cargo are delayed because of the manual transmission. Of course, the cargo is handled by the workers, through the Port Trust. May I know from the Hon. Minister whether the Government is thinking to modernise some of the ports,

particularly, major ports by computerising loading and unloading operations so that transport could be made easier and faster?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, प्री बर्थ डिटेंशन वेसल्स का अथवा शिप्स का नहीं होना चाहिए यह हम भी चाहते हैं और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जितने भी हमारे मेजर पोर्ट्स हैं उनको हम माडर्नाइज करेंगे ताकि उनकी कारगो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ायी जा सके। अब तक कारगो हैंडलिंग कैपेसिटी सारे मेजर पोर्ट्स की जो रही है वह 271 मिलियन टन्स की रही है। लेकिन अप टु एंड आफ नाइग्ट प्लान हम उसको बढ़ाकर 424 मिलियन टन करना चाहते हैं। लेकिन यहां तक मैं समझ पाया हूं श्रीमन कि 424 मिलियन टन तक की कैपेसिटी बढ़ पाना संभव नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज 271 मिलियन टन की जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बढ़ाकर हम मोर दैन 350 मिलियन टन तक निश्चित रूप से ले जाने में सफल रहेंगे। इन पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए माडर्नाइजेशन की आवश्यकता होगी और माडर्नाइजेशन के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो उतनी धनराशि हमारी सरकार के पास नहीं है। इसीलिए मेजर पोर्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट बिल हमने इसी सदन में पेश किया था। उस पर चर्चा हुई थी। आज उस पर लोक सभा में चर्चा है। हम उसको पारित कराकर चाहते हैं कि ज्वायंट वेंचर हमारे जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वे माइनर पोर्ट्स के साथ बना सकें अथवा प्रायवेट इन्वेस्टर के साथ बना सकें अथवा जो फारेन पोर्ट्स है उनके साथ ज्वायंट वेंचर फार्म कर सकें ताकि हम अपने मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को डेवलप कर सकें, उसे बढ़ा सकें।

SHRI BRATIN SENGUPTA: Mr. Chairman, Sir, there was a Special Mention in this Budget Session requesting the Government to revise the decision of handing over the Gangavaram Port land for development through the private route. But the hon. Minister just now said that as per the suggestion of the State Government, it is being developed through the private route. On the basis of the Special Mention made in this House, will the Minister revise the decision and see that the Gangavaram Port land is not handed over to the private sector?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि यह बात सच है कि प्रायवेट आपरेटर के द्वारा गंगावरम पोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपरेट किए जाने की जो बात कहीं गयी है उसके संबंध में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सिक्योरिटी कन्सर्न अपनी तरफ से जाहिर किया था, उसमें सुरक्षा की चिंता व्यक्त की थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश से यही कहा गया है कि वे इस संबंध में पूरी सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी कन्सर्न प्रायवेट आपरेटर्स के द्वारा उस पोर्ट को आपरेट करने के कारण न पैदा होने पाए।

MR. CHAIRMAN: Next Question.

*703. [The questioner (SHRI S. AGNIRAJ) was absent for answer vide page 25 Infra.]

*704. [The questioners (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA and DR.JD. MASTHAN) were absent, for answer vide page 26 Infra.]

तारांकित प्रश्न संख्या 705 जिसका उत्तर 16 मई, 2000 को दिया जाना है।

सतलुज-यमुना नहर का निर्माण

*705. श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में सतलुज-यमुना नहर के निर्माण हेतु धन खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) क्या इस नहर का निर्माण-कार्य इन दिनों चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य बंद होने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्र सरकार ने पंजाब में सतलुज-यमुना संपर्क नहर के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं और अब तक 499.12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान में इस नहर का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस परियोजना के अभियन्ताओं की हत्या के कारण यह कार्य रुका पड़ा है। तथापि, इस नहर को तत्काल पुनः शुरू करवाने और पूरा करवाने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने के कारण यह मामला न्यायाधीन है।

Construction of Satluj-Yamuna Canal

†*705. SHRI BANARSI DAS GUPTA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government have spent funds for the construction of Satluj-Yamuna canal in Punjab;

(b) if so, the amount spent so far;

†Original notice of the question was received in Hindi.